रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032025-261575
CG-DL-E-12032025-261575

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1126]	नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 2025/फाल्गुन 21, 1946
No. 1126]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 2025/PHALGUNA 21, 1946

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 11 मार्च, 2025

का.आ. 1139(अ).—केंद्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 2 के खंड (घ) और धारा 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 17 अक्टूबर, 2014 में प्रकाशित भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, तत्कालिन कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग की अधिसूचना का.आ. 2666(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 2014 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, –

(क) पैरा (3) में, उप-पैरा (viii) के पश्चात, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(ix) कच्चे मत्स्य उत्पादों के आयात के लिए सैनिटरी आयात परमिट अपेक्षित नहीं होगा, यदि आयातक-

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अग्रिम लाइसेंस रखता है, जिसके अनुसार उत्पाद पुनः निर्यात के लिए आयातित है; और

(ख) पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है:

परंतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र केवल इस बात के सत्यापन के पश्चात ही जारी किया जाएगा कि निर्यातक देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र निम्नलिखित के अनुरूप है, अर्थात्:-

(क) संवर्धित स्रोतों से प्राप्त उत्पादों के मामले में, स्वच्छता संबंधी अपेक्षाएं मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप हैं;

(ख) पकड़ी गई जंगली सामग्री से प्राप्त उत्पादों के मामले में, इस आशय का एक पकड़ने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि उत्पाद पकड़ी गई जंगली सामग्री से प्राप्त किया गया है।

(x) पशुधन उत्पादों का आयात, जिसके लिए पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित होता है, खुले समुद्र में बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।"

(ख) पैरा (4) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु यह कि विशेष रूप से केवल मानव उपभोग के लिए लेकिन प्रजनन या पालन के लिए बीज सामग्री को छोड़कर, शीघ्र खराब होने वाली मछली उत्पादों के आयात के मामले में, कोलकाता स्थित पशु संगरोध और प्रमाणन केंद्र के अधिकार क्षेत्र के अधीन दावकी (मेघालय) और सुतारकंडी (असम) में स्थित भूमि बंदरगाह के माध्यम से आयात की अनुमति दी जाएगी।

परंतु यह भी कि पैरा 1 के क्रम संख्या (x) और (xi) में सूचीबद्ध पशुधन उत्पादों को नई दिल्ली स्थित पशु संगरोध और प्रमाणन केंद्र के अधिकार क्षेत्र के अधीन कानपुर में स्थित, यथास्थिति, हवाई अड्डे या भूमि बंदरगाह, के माध्यम से भारत में आयात करने की अनुमति दी जाएगी।

[फा. सं. एल-110110/17/2017-व्यापार (ई-15243)]

वर्षा जोशी, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2666(अ), तारीख 17 अक्तूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 3356(अ), तारीख 10 दिसम्बर, 2015, का.आ. 2640 (अ), तारीख 3 अगस्त, 2016, का.आ. 3112(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2016, का.आ. 948(अ), तारीख 22 मार्च, 2017, का.आ. 2486(अ), तारीख 4 अगस्त, 2017, का.आ. 5758(अ), तारीख 16 नवम्बर, 2018, का.आ. 2679(अ), तारीख 10 अगस्त, 2020, का.आ. 4559(अ), तारीख 16 दिसंबर, 2020 और का.आ. 4953(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2025

S.O. 1139(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 and section 3A of the Live-stock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, the erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, number S.O. 2666 (E), dated the 16th October, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17th October, 2014, namely:–

In the said notification, in the SCHEDULE,-

(a) In paragraph (3), after sub-paragraph (viii), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:–

"(ix) The sanitary import permit shall not be required for import of raw fishery products, if the importer –

(a) is in possession of an advance licence issued by the Directorate General of Foreign Trade to the effect that the product is intended for re-export; and

(b) has obtained a No Objection Certificate from the officer-in-charge of the Animal Quarantine and Certification Services Stations or any other officer duly authorised by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying:

Provided that the No Objection Certificate shall be issued only after verifying that the certificates issued by the competent authority of the exporting country conforms to the following, namely: –

(A) in case of the products from cultured sources, the sanitary requirements conforms to the standards specified by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying;

(B) in case of the products sourced from wild caught material, a catch certificate has been issued to the effect that the product is so sourced from wild caught material.

(x) Import of livestock products, which requires no objection certificate from the Officer-In-Charge of the Animal Quarantine and Certification Services Stations, through sale on high seas shall be prohibited.”.

(b) In paragraph (4), the following provisos shall be inserted at the end, namely:-

“Provided also that in case of import of perishable fish items exclusively for the purpose of human consumption but excluding seed material for breeding or rearing purposes, the import shall be allowed through the land port, located at Dawki (Meghalaya) and Sutarkandi (Assam) under the jurisdiction of Animal Quarantine and Certification Station in Kolkata.

Provided also that the livestock products listed at serial numbers (x) and (xi), of paragraph 1 shall be allowed to import into India through the airport or land port, as the case may be, located at Kanpur under the jurisdiction of Animal Quarantine and Certification Station in New Delhi.”.

[F. No. L-110110/17/2017-Trade (E-15243)]

VARSHA JOSHI, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 2666(E), dated the 17th October, 2014 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 3356(E), dated the 10th December, 2015, S.O. 2640(E), dated the 3rd August, 2016, S.O. 3112(E), dated the 30th September, 2016, S.O. 948(E), dated the 22nd March, 2017, S.O. 2486(E), dated the 4th August, 2017, S.O. 5758(E), dated the 16th November, 2018, S.O. 2679(E), dated the 10th August, 2020, S.O. 4559(E), dated the 16th December, 2020 and S.O. 4953 (E), dated the 1st December, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA